## with LIC'S USEVAN LAKSHYA (WITH PROFITS)

एलआईसी की जीवन लक्ष्य (लाभ सहित)

(युआईएन: 512एन297वी01)/(UIN: 512N297V01)



9

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)/(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भाग-ए / PART - A

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे इसके बाद ''निगम'' कहा गया है) यहाँ नीचे सन्दर्भित अनुसूची में उल्लिखित बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव तथा घोषणा और प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति होने पर और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा और उसमें दिये गये और सन्दर्भित विवरण इस बीमा पॉलिसी के आधार पर उक्त प्रस्तावक और निगम द्वारा उसे स्वीकार किये जाने पर इस अनुसूची मे निर्धारित बाद के प्रीमियमों पर विचार करते हुये और उनकी उचित प्राप्ति निगम के उस शाखा कार्यालय पर हितलाभ का बिना ब्याज के भुगतान करने के लिये यहाँ यह उस व्यक्ति या व्यक्तियों को यह पॉलिसी दी जाती है, जिन्हे उक्त पॉलिसी प्रलेखका के अनुसार यह देय होगी, लेकिन इन लाभों के सम्बन्ध मे निगम की संतुष्टि के लिये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि अनुसूची मे निर्धारित रकम के देय होने पर उस व्यक्ति या व्यक्तियों को हक का, जो भुगतान का दावा कर रहा हो / रहे हों, की प्रस्ताव मे उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु की सत्यता के बारे मे देय होगा, यदि वह पहले नहीं दिया गया हो. और इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह बीमे की पॉलिसी इसके पृष्ठ भाग पर मुद्रित सेवा के पहलुओं से संबंधित परिभाषाओं, लाभों, स्थितियों, अन्य नियमों व शर्तों और वैधानिक प्रावधानों के अधीन होगी और यह कि निम्नांकित अनुसूची और निगम द्वारा पॉलिसी पर अंकित प्रत्येक पृष्ठांकन पॉलिसी का भाग समझा जाएगा.

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this statements contained and referred to therein below and the said Proposal along with Declaration and the Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said interest, at the Branch Office of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in the Policy Document, of the title of the Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in the Policy Document, of the title of the Schedule person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the by the Corporation shall be deemed to be part of the Policy.

मंडल क	जर्यालयः DIVISION	AL OFFICE:	अनु	सूची SCHEDULE		शाखा कार्यालय: BF	ANCH OFFICE:	71A
पॉलिसी सं.: Policy No.: 30464353 पॉलिसी आरंग होने की तिथि:			बीमित राशि (र): ic Sum Assured (र):	प्रीमियम की देय तिथि: Due date of prem प्रीमियम भुगतान की वि Mode of payment o	घेः ।	01st Qly		
Date of Commencement of Policy: 01/03/2 जोखिम आरंप होने की शिषः 17/03/2 Date of Commencement			1 6	योजना के लिए किश्त प्रीमियः alment Premium for Ba	मूल योजना के लिए अंति प्रीमियम भुगतान की देव Due Date of Payme	न योजना के लिए अंतिम		
of Risk: योजना एवं पॉलिसी अवधि: Plan & Policy Term:		833 2	्री. कुल Tota	किश्त प्रीमियम (₹): al Instalment Premium (	The second	बीमित व्यक्ति की जन्म Date of birth of the Life Assured:		07/198
प्रीमियम भुगतान अवधिः Premium Paying Term:		1.	८ (सम	य-समय पर लागू सेवा कर प्रतिरिक्त शुल्क लिया जाता है	.)	बीमित व्यक्ति की आयुः Age of the Life Ass	sured:	33
परिपक्वता की तिथि: Date of Maturity: 01/03/20			39 (Sei	rvice tax is charged extra applicable from time to t		आयु स्वीकार की गई है Whether age Adm	आयु स्वीकार की गई है या नहीं ? Whether age Admitted?	
क्र. सं. Sr. No.	द्युना गया राइडर विकल्प Rider Opted	यूआईएन UIN		राइडर बीमित राशि Rider Sum Assured	राइडर के लिए किश्त प्रीमियम Instalment Premium	राइंडर के लिए अंतिम किश्त की देय तिथि Due date of payment of		गप्ति की तिथि er termination
				100000	for Rider	ast premium for Rider 50 01/12,	/203501	/03/20
DDB	STYDYC	7402		200000		00		,,
2	गया क (साथ) की शर्त	) क. 3 के तहत् उल्लेखित राइ-		होंगी यदि उपरोल्लेखित राइः	डर के लिए चुने गए हो.			
Note: C	Conditions of the ric	der(s) mentioned unde	condition n	o. 3 of Part C (Benefits	) shall only apply if the a	bove mentioned riders have	ve been opted for.	
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामिती का नाम: Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Ad				प्रस्ताव क्र.: t, 1938: Proposal No.:		o.:	16	855
KA	ARTHIKA	SHREE	Age:		Date of Pro	oosal:	17/	03/201
if Nomi	nee is a minor, nam	не от ше дероппос.		*	लाभ विवरण संव Benefit Illust	ৰ্ম ক্ল.: ration Reference No.:1	00000	00000
SH	HANMUGA			SHA	और पता / Name and add VMUGA KUM	IAR M		
		KUMAR M				NAGAR, V		
NC	):2, SR	IRAM NAG	AR, 1	GP NAG		MM POORNA	PHASE-	4,
NAGAR EXTN, MM POOF								
SE	MBAKKA	M, CHENN	AI.	6000	073			
60	00073	Ø.						
या दे Beneficiary to whom Benefits payable TI 3			या उसके व देय राशि वे The pro 39 of the out repr	ास्तावक या बीमाधारी या बीमा अधिनियम 1938 के अनुष्ठेद 38 के अंतर्गत या उसके समनुदेशित के बीमा अधिनियम 1938 के अनुष्ठेद 39 के अंतर्गत ग्रा उसके नामितियों या उन प्रमाणित प्रबंधकों या प्रशासकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाएगा या जिन्हें उनकी संपदा या केवल इस पॉलिसी के अंतर्गत त्य रिश के लिए भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र के किसी न्यायालय से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा. The proposer or the Life Assured or his Assignee under section 38 of Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of the Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take put representation to his/her Estate or limitled to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.				
प्रीमियम चुकाने की अवधि			अंतिम प्रीरि	अंतिम प्रीमियम के भुगतान की निर्धारित तिथि तक या बीमित व्यक्ति की मृत्यु तक Ill the stipulated due date of payment of last premium or earlier death of the Life Assured.				
				नेयत तारीख पर tipulated due date in	Mar Ju	n Sep D	ec	

निगम की ओर से उपर्युक्त शाखा कार्यालय में इस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम गुच्ड पर दिया गया है और जिस पते पर इस पॉलिसी से संबंधित समस्त पत्राचार संबंधित किया जाए. Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relati

should be addressed. विनांक : / Date :

জাৰ ব্ৰাং: / Examined by : कार्य क्र.: / Form No.: 833

24/03/2018

कृते प्रमुख/वरिष्ठ/ शाखा प्रकं

जांचकर्ता एजेंसी का नाम एजेंट का मोबाईल नंबूर् एजेंसी कोड Agent's Mobile Number/Landine Number SI **Agency Name** Agency Code Branch Manag 0433071A<del>SARAVANAN.N</del> 9842037475